

उद्योग विभाग

पत्रांक

1121

/राँची, दिनांक

25/6/11

02/उ०वि०/(विविध)-11/2007

प्रेषक,

राज कुमार,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,  
बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार  
बियाडा भवन, बालीडीह, बोकारो स्टील सिटी-827104

विषय :-

आयकर विभाग, सर्किल-3, बोकारो, द्वारा बियाडा के विरुद्ध परित Assessment order के संबंध में।

प्रसंग :-

बियाडा पत्रांक-25 दिनांक-14.05.2011

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि इसी प्रकार के मामले में आयडा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Civil Appeal No.-6382/2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.05.2006 को पारित आदेश का Conclusion निम्न है:-

“Having considered all aspects of the matter we hold that the High Court is right in concluding that the appellant/Authority could not claim exemption from Union taxation under Article 289 (1) of the Constitution of India. The impugned notice issued by the Income Tax Authorities was, therefore, valid and legal and could not be successfully challenged in the writ petition. Accordingly, this appeal is dismissed but without any order as to costs.”

उक्त से यह स्पष्ट होता है कि नियमानुसार आयकर की देयता प्राधिकारो पर लागू है। इस संबंध में तत्कालीन महाधिवक्ता से आदेश का Review Petition File करने के संबंध में प्राप्त Opinion निम्नोक्त है :-

“I have perused both the judgements of the Hon'ble High Court and Hon'ble Supreme Court. The said judgements have been delivered after taking into consideration several decisions of the Hon'ble

Supreme Court rendered under similar circumstances. Further, the judgement-of the Hon'ble Supreme Court is more than three years old. Further review applications are hardly entertained by the Hon'ble Supreme Court.....Under the aforesaid circumstances, in my opinion, any step for seeking review, is not likely to give any positive result."

उक्त से स्पष्ट है कि आयकर एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर का भुगतान प्राधिकार के द्वारा किया जाना चाहिए एवं प्रावधानों के सभी धाराओं का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से दण्ड नहीं देना पड़े साथ ही यह भी कहना है कि ससमय आयकर का भुगतान किया जाय, इस हेतु प्राधिकार Expert (Legal C.A) की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

उक्त पर माननीय मुख्य (उद्योग) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के उपाय सचिव